अनवान - सुन्दरदेवी के का.मु. बनाम प्रभुराम के का.मु.
मुकदमा नंबर - 33/2024

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 15-03-24 | पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण वकील उपस्थिति । विप्रार्थीगण के नोटिस तामील सुदा प्राप्त विप्रार्थी संख्या 3 की ओर से वकील श्री कपिल श्रीमाली द्वारा जबाब पेश किया। दोनो पक्षो के वकील की बहस सुनी गई।<br>प्रार्थीगण वकील की बहस है कि मध्यक्षेपी जालमसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 01 नियम 10 सी.पी.सी. का पेश किया गया जिसे माननीय न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर मध्यक्षेपी जालमसिह को बतौर पक्षकार प्रतिवादी (विप्रार्थी) संख्या 13 बनाया गया जिससे क्षुब्ध होकर प्रार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी पेश की जो दर्ज होकर विप्रार्थीगण को नोटिस जारी होकर मूल पत्रावली दिनांक 25.10.2013 को तलब की गई पत्रावली माफिक आदेश इस न्यायालय द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में नहीं भेजी गई तथा दिनांक दिनांक 14.12.2015 को दीवानी विविध प्रकरण प्रार्थीगण के अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया। मूल वाद प्रार्थीगण(वादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 4 सीपीसी को स्वीकार करते हुए रेस्टोर कर दिया गया है किन्तु सहवन से उक्त दीवानी विविधि प्रकरण रेस्टोर नहीं किया गया। अप्रार्थीगण अवैध व अनुचित तरीके से वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा ईटवाया के खसरा संख्या 1485 रकबा 64.17 बीघा व मौजा सरहद पंऊ के खसरा संख्या 52 रकबा 106 बीघा की मौका की स्थिति में रदोबदल करने पर आमादा है तथा मूल वाद प्रकरण के मकसद को विफल करने पर तुले हुए है अतः दीवानी विविध प्रकरण को पुनः दर्ज किया जाकर मौके एवं रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत स्थगन आदेश पारित किया जावे।<br>विप्रार्थी संख्या 3 की बहस हे कि प्रार्थीगण द्वारा जानबुझकर प्रकरण को लम्बित करने की नियत से उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थना पत्र पेश नहीं कया गया चूंकि दोनो प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष अलग-अलग दर्ज किये गये थे जिससे दोनो ही प्रकरण में प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र रिस्टोर करने हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जाना था, प्रार्थीगण द्वारा विलम्ब से प्रार्थना पत्र पेश किये जाने बाबत विशिष्ठ कथन नहीं किया गया है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना खारिज फरमाया जावे।<br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया । माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी याचिका 2013/3721 बाडमेर बअनवान सुन्दरदेवी बनाम जालमसिंह में मूल पत्रावली दिनांक 25.10.2013 को तलब की चुकी थी अर्थात प्रार्थीगण (वादीगण) की उपस्थिति इस न्यायालय में आवश्यक नहीं थी तथा प्रार्थीगण /वादीगण की अनुपस्थिति का कारण सद्भावी रहा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।<br>लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद में जारी आदेश दिनांक 14.12.2015 बहाल किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार होकर मूल प्रार्थना पत्र के साथ नत्थी हो।<br><br>सहायक कलक्टर<br>(S.D.O.) सिवाना | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2024.05.14 11:15:20 IST
Reason: SelfAttested